जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक जीविवि / अकादमी / 2013 / 1431 दिनांक 09 / 10 / 2013

कार्यालयीन आदेश

प्रायः छात्रों द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत तथा कई प्रकरणों में परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरांत अर्हता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाता है। तथा कतिपय प्रकरणों में आवेदक के पात्र न होने की स्थिति में विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। इस समस्या के निदान हेतु सर्वसंबंधित के पालनार्थ आदेशित किया जाता है कि **"अर्हता प्रमाण पत्र, पाठयक्रम में प्रवेश तथा स्वाध्यायी छात्रों के प्रकरण में परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अवश्य प्राप्त करलें। अर्हता प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने पर परीक्षा निरस्त होने की स्थिति निर्मित होने के लिए सम्बंधित छात्र / प्राचार्य स्वयं उत्तरदायी होंगे"।**

कुलसचिव

प्रति,

1. समस्त छात्र / छात्राएं एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु इच्छुक आवेदक ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष शैक्षणिक विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. समस्त प्राचार्य, संबद्ध महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संपादक, स्थानीय समाचार पत्रों की ओर इस निवेदन के साथ कि उक्त आदेश सूचना वृत के रूप में निशुल्क प्रसारित करने का कष्ट करें।
2. इंचार्ज वेबसाइट, जीवाजी विश्वविद्यालय, की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर–चम्बल, मोतीमहल ग्वालियर।

कुलसचिव

<u>जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)</u>

क्रमांक जीविवि / अकादमी / 2013 / 1431 दिनांक 09/ 10/ 2013

कार्यालयीन आदेश

विभिन्न अध्ययन मंडलों के गठन हेतु स्मरण कराये जाने के उपरांत भी वांछित जानकारी सम्बंधित विभागाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय की ओर प्रेषित नहीं की जाती है तथा कुछ प्रकरणों में अस्पष्ट जानकारी विश्वविद्यालय की ओर प्रेषित कर दी जाती है। जिससे अध्ययन मंडलों के गठन के पश्चात शिकायतों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। अतः आदेशित किया जाता है कि सम्बंधित विभागाध्यक्ष / प्राचार्य कि वे अध्ययन मंडलों के गठन हेत चाही गई जानकारी निर्धारित तिथि तक सम्पूर्ण रूप में कार्यालय की ओर भेजना सुनिश्चित करें। वांछित जानकारी निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में अध्ययन मंडल के गठन में हुई त्रुटि के लिए सम्बंधित विभागाध्यक्ष / प्राचार्य उत्तरदायी होंगे और ऐसी परिस्थिति में सम्बंधित विभाग / महाविद्यालय के विरूद्ध टिप्पणी अंकित करते हुए शिकायती आवेदन एवं वस्तुस्थितिपरक जानकारी से शासन को अवगत करा दिया जावेगा।

कुलपति जी के आदेशानुसार ।

कुलसचिव

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष शैक्षणिक विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. समस्त प्राचार्य, संबद्ध महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संपादक, स्थानीय समाचार पत्रों की ओर इस निवेदन के साथ कि उक्त आदेश सूचना वृत के रूप में निशुल्क प्रसारित करने का कष्ट करें।
2. इंचार्ज वेबसाइट, जीवाजी विश्वविद्यालय, की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर–चम्बल, मोतीमहल ग्वालियर।

कुलसचिव